


11-11-21 पञ्जाब के राज्यपाल 11-11-21 को प्रशासन के विभाग में  
 (अतिरिक्त)  
 लगा समयमान, से प्रयोग पत्र पैरा हुआ उक्त के  
 संक्षेप में तत्पश्चात् उक्त से कि जारी की  
 व्यवहारी 6 नवम्बर कायदा की हार्ड प्रूफ का  
 एच नं 225 इकाया 2 कीका 10 बिल्गा बॉक  
 गांव कजयपुरा तहसील जालंधर में स्थित  
 है जिसके नाम कोर में कन्टी कर एबी एवं  
 जारी करविल टिक कायदा काला यथा  
 आ रहा है। जमा छपी संवत् 2075 से 2078  
 धरिमा पर संलग्न हैं। अतएव है पडोरी  
 जारी की प्रूफ जालगी मैड कन्टी की खर्द बुर्द  
 कर प्रूफ परचम बुर्द कन्टी के प्रकृत का प्रकृत  
 करते रहते हैं। उक्त प्रूफ नं 23/4/21

  
 उपर्युक्त अधिकारी  
 जालंधर जिला दौसा (राज)

दुजारी खाल 113 मां साकार 20/21

भूतिका का जमीन भला कर सीमागत कावका  
जमा पिछापर उपस्थित अन्तर्गत 21/2/20 एब भौतिकी  
के हस्तांतर कवाये गये। इस कारण प्राची-  
आजाजी वाहगाह की प्रत्यक्षी करवाये का-  
कल्पनन कापिकायी है। इसी कारण प्राचीना  
पर प्रस्तुत करना लक्षणमी कापका।

तत्पश्चात् अजाची की रखावी  
एब प्रकरण कर कवणका अजाची ने उपस्थित  
हामा मे उपस्थित विपरीत प्रस्तुत की विस्तृत अकन  
क्रिया कि प्रमाण मे विपरीत एब 20 का सीमागत  
क्रिया हुआ है। सीमागत विपरीत 23/1/14 की प्रयोग  
इति प्राचीना पर के प्रमाण है। प्रमाण पर उपस्थित  
दस्तावेजका का अन्तर्गत है प्राची का प्रमाण  
प्राचीना पर स्वीकार किये जाने योग्य है।

इस प्राचीना पर अन्तर्गत

128 एब 200 एकर स्वीकार किया जाता है।  
उत्सीलपत लक्षणमी के कादेश विपरीत है कि  
विपरीत 21/2/20 एब 255 एकर 2 वीं 10  
विल्ला वीके जमा अन्तर्गत अन्तर्गत लक्षणमी  
का सीमागत कर प्रमाणकी कल्पन कले हेतु  
के उपलब्ध गि 2/2/20। प्रमाणकी सीमा  
गतिक कर सीमागत। प्रमाणकी कल्पन कर  
एब की प्रमाण नियमावली प्राची मे प्राची  
इस कारण की उत्सीलपत के प्राची है।  
प्राचीनी एब प्रमाण लक्षणमी है।

उपखण्ड अधिकारी  
नालसोट जिला बीसा (राज)